कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब / एल / 2021–22 / 2529 दिनांक : 25.03.2021

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन एवं ई–नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना फेज–IV

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य में आबकारी बन्दोबस्त हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों (कम्पोजिट दुकानों) के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आबकारी नीति 2021–22 के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से ई–नीलामी (ई–बोली) आयोजित की जा रही है। फेज–I में पांच दिवसीय ई–नीलामी दिनांक 10.03.2021, फेज–II में दो दिवसीय ई–नीलाामी दिनांक 19.03.2021 एवं 20.03.2021 एवं फेज–III में एक दिवसीय ई–नीलाामी दिनांक 24.03.2021 को सम्पन्न हो चुकी है।
2. फेज–IV में निम्नलिखित तिथि अनुसार ई–नीलामी (ई–बोली) आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	01.04.2021	31.03.2021

नीलामी का समय पूर्वानुसार प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक रहेगा। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्नत विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

3. **आवेदनः–** फेज–IV के लिए आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 26 मार्च 2021 को प्रातः 11:00 बजे से प्रारम्भ है तथा निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व को रात 11:59 पी. एम. तक चालू रहेगी।
4. यदि आवेदक द्वारा दिनांक 12.02.2021 के पश्चात् **https://www.mstcecommerce.com** पर पंजीकरण कराया है तो उन्हे पृथक से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही रहेगी। पूर्व में आवंटित यूजर आई.डी. व पासवर्ड के माध्यम से ई–नीलामी हेतु आवेदन कर सकते है। यदि पूर्व में पंजीकरण नही कराया है तो **https://www.mstcecommerce.com** पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते है।
5. सफल बोलीदाता H1 के किसी कारण से बैकआउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 को सफल बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी।

   H2 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नही देने पर उसे उसकी स्वंय द्वारा बोली गई कीमत H2 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H2 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर H3 को क्रमशः H1 एवं H2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित वार्षिक गारन्टी राशि पर उस मदिरा दुकान को लेने हेतु अवसर दिया जायेग।

   तृतीय उच्चतम् बोलीदाता H3 द्वारा सहमति देने पर पूर्व में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जावेगी। H3 द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमती नही देने पर उसे उसकी स्वंय द्वारा बोली गई कीमत H3 पर मदिरा दुकान देने का अवसर दिया जावेगा। यदि इस कीमत पर भी H3 द्वारा मदिरा दुकान नहीं ली जाती है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

6. अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

Scanned with CamScanner